मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग–म.प्र. शासन)
द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल, भोपाल (मध्यप्रदेश) पिन–462011
फोन – 0755-2570442 फैक्स : 0755-2556619

क्रमांक/एफ/10–68/EMTCT/2019–20/1578 भोपाल, दिनांक 13/6/2019

प्रति,

1. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
4. समस्त नोडल अधिकारी, जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
5. समस्त एसटीआई/आरटीआई क्लीनिक प्रभारी
6. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
7. समस्त आरटीआई/एसटीआई परामर्शदाता

मध्यप्रदेश।

विषयः–आरटीआई/एसटीआई परामर्शदाताओं के कार्यों व उत्तरदायित्वों बाबत्।

संदर्भः–1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/एफ/10–68/EMTCT/2018–19/3786 दिनांक 16.08.2018।

2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 21–11/ICTC/2018/4692 दिनांक 13.11.2018।

–– 00 ––

भारत सरकार द्वारा EMTCT (Elimination of Mother to Child Transmission) of HIV and Syphilis के अंतर्गत वर्ष 2020 तक गर्भवती महिलाओं से उनके बच्चों में होने वाले एचआईव्ही व सिफलिस संक्रमण के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक गर्भवती महिला की गर्भ काल की प्रथम तिमाही में ही एचआईव्ही व सिफलिस की जांच एक साथ की जावे। इस संदर्भ में उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। दिनांक 02 एवं 03 मई को नई दिल्ली में संपन्न समीक्षा बैठक में भी यह अवगत कराया गया कि एसटीआई सेवाओं का इंटीग्रेशन आईसीटीसी के साथ किया जावे।

अतः समस्त गर्भवती महिलाओं को एचआईव्ही व सिफलिस जांच उपलब्ध कराने के संबंध में आरटीआई/एसटीआई परामर्शदाताओं को उनके वर्तमान कार्यों के साथ–साथ **परिशिष्ट–1** पर संलग्न कार्यों का दायित्व दिया जा रहा है।

कृपया समस्त आरटीआई/एसटीआई परामर्शदाताओं को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ **परिशिष्ट–1** में दिए गए कार्यों को भी करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें यह कार्य व उत्तरदायित्व इनके दैनिक कार्यों व उत्तरदायित्वों का ही हिस्सा होंगे जिसकी नियमित समीक्षा की जावेगी एवं किसी भी प्रकार कमियां/कोताही पाए जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

12.6.19

(डॉ. अरूणा गुप्ता)
परियोजना संचालक
मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

पृ. क्रमांक / एफ / 10–68 / EMTCT/2019–20 / भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।
2. उपमहानिदेशक, बीएसडी, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, 6वीं मंजिल, चन्द्रलोक भवन, 36 जनपथ नईदिल्ली।
3. डॉ. विशाल यादव, एसोसिएट कंसल्टेंट, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, 6वीं मंजिल, चन्द्रलोक भवन, 36 जनपथ नईदिल्ली।
4. डॉ. अर्चना मिश्रा, उपसंचालक, मातृ स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल।

परियोजना संचालक
मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

परिशिष्ट–1

डीएसआरसी के आरटीआई/एसटीआई परामर्शदाताओं के द्वारा उनके वर्तमान उत्तरदायित्वों के साथ–साथ निम्नानुसार कार्य भी किये जायेंगे :–

क्रमांक	कार्य	विवरण
1.	आरटीआई/एसटीआई मरीजों का परामर्श व उपचार संबंधी सेवाएं	1. आरटीआई/एसटीआई परामर्शदाताओं के वर्तमान दायित्वों का पूर्ण पालन। 2. आरटीआई/एसटीआई के मरीजों का परामर्श, पार्टनर नोटिफिकेशन, पार्टनर मैनेजमेंट, फॉलोअप परामर्श। 3. करेक्ट एवं कन्सिस्टेंट कण्डोम उपयोग की जानकारी देना। 4. आईसीटीसी को आवश्यकतानुसार पेशेंट रेफर करना। 5. प्रत्येक पेशेंट का रिकार्ड नाको गाईडलाईन अनुसार विभिन्न प्रपत्रों, रजिस्टरों में रखना। 6. संस्था में आए हितग्राहियों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, उपचार संबंधी सलाह देना, गर्भ निरोधक का उपयोग करने हेतु प्रेरित करना। 7. स्त्रीरोग ओपीडी एवं एसटीआई ओपीडी से समन्वय स्थापित कर अधिकतम आरटीआई/ एसटीआई मरीजों को उपचार प्रदान करवाना।
2.	सिफलिस व एचआईव्ही जांच संबंधी।	1. जिले की समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में सिफलिस व एचआईव्ही जांच सेवाएं उपलब्ध कराना। 2. जिले की जिन स्वास्थ्य संस्थाओं में उक्त जांचें नहीं हो रही हैं उन्हें चिन्हित कर जांचें आरंभ कराने हेतु स्टॉफ को चिन्हित करना, नोडल अधिकारी से समन्वय कर इनका प्रशिक्षण आयोजित कराना व केन्द्रों पर जांचे आरंभ कराना। 3. स्वास्थ्य संस्थाओं में जांचे आरंभ कराने हेतु एफआईसीटीसी बनाई जाकर उनका पंजीयन सिम्स साफ्टवेयर में कराने हेतु यूनिट रजिस्ट्रेशन फार्म भरकर भेजना।
3.	निजी चिकित्सालयों में हो रही सिफलिस व एचआईव्ही का विवरण एकत्रित करना।	1. जिले के समस्त निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, कार्पोरेट अस्पताल, पब्लिक सेक्टर के चिकित्सालय, पैथोलॉजी लैबों आदि में हो रही सिफलिस व एचआईव्ही जांचों की जानकारी एकत्रित करना। 2. जो निजी चिकित्सालय पल्स सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट करेंगे उनके साथ एमओयू बनवाकर उसे जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या नोडल अधिकारी से हस्ताक्षर कराना एवं हार्ड कॉपी फाईल में संधारित कर रखना। 3. निजी चिकित्सालय जो पल्स साफ्टवेयर में सिफलिस व एचआईव्ही टेस्ट की जानकारी रिपोर्ट कर रहें हैं उसकी एकजायी रिपोर्ट प्रति माह बनाकर हार्ड कॉपी में फाईल में संधारित करना। 4. ऐसे निजी चिकित्सालय जो पल्स में रिपोर्ट नहीं कर रहें हैं उनकी रिपोर्ट एफआईसीटीसी के मासिक रिपोर्टिंग प्रपत्र में एकत्रित कर फाईल में संधारित करना। 5. पल्स की जानकारी व एफआईसीटीसी मासिक रिपोर्टिंग प्रपत्र में प्राप्त जानकारी को एकजायी कर प्रत्येक माह नाको के सिम्स साफ्टवेयर में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक रिपोर्ट भरना।

क्रमांक	कार्य	विवरण
4.	रिपोर्टिंग एवं डाटा चेकिंग	1. जिले में संचालित समस्त एफआईसीटी की रिपोर्टिंग डाटा एन्ट्री ऑपरेटर द्वारा की जाती है जिसकी मॉनीटरिंग बीसीएम/बीपीएम द्वारा की जाती है। यदि किसी केन्द्र द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई है तो उसकी सूचना संबंधित केन्द्र के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं बीसीएम/बीपीएम को देना व रिपोर्ट सिम्स साफ्टवेयर में दर्ज कराना। 2. एफआईसीटीसी द्वारा सिम्स साफ्टवेयर में प्रत्येक माह में दर्ज की गई रिपोर्ट को चेक करना कि किसी केन्द्र द्वारा शून्य रिपोर्ट तो नहीं की गई है यदि ऐसा कोई केन्द्र है तो केन्द्र से समन्वय कर शून्य रिपोर्ट के कारणों का निराकरण कर रिपोर्ट ठीक कराना। 3. एफआईसीटीसी की रिपोर्ट में यदि गलत डाटा दर्ज किया गया है तो उसे सुधरवाना।
5.	लिंकेजेस	1. एफआईसीटीसी पर यदि कोई गर्भवती महिला या जन सामान्य सिफलिस रिएक्टिव या एचआईव्ही रिएक्टिव आया है तो वह केस एसटीआई क्लीनिक या आईसीटीसी पहुंचा है या नहीं उसकी निगरानी करना।
6.	लाईन लिस्टिंग	1. जिले में सिफलिस पॉजीटिव आयी समस्त गर्भवती महिलाओं की लाईन लिस्ट निर्धारित प्रपत्र में बनाना एवं प्रत्येक माह राज्य कार्यालय को 5 तारीख तक प्रेषित करना। 2. संक्रमित गर्भवती महिलाओं से जन्में बच्चों की लाईन लिस्ट में एन्ट्री करना एवं प्रत्येक माह की 05 तारीख तक लाईनलिस्ट प्रेषित करना।
7.	सिफलिस रिएक्टिव गर्भवती महिलाओं की कंफमेटरी जांच, उपचार, प्रसव बच्चे का उपचार व फालोअप ।	1. जिले की किसी भी स्वास्थ्य संस्था में सिफलिस रिएक्टिव पायी गयी गर्भवती महिला की कंफर्मेटरी जांच कराना। 2. सिफलिस पॉजीटिव/रिएक्टिव महिलाओं का नाको गाईडलाईन अनुसार उपचार को फेसिलिटेट करना। 3. सिफलिस पॉजीटिव/रिएक्टिव गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराना एवं शिशु का नाको गाईडलाईन अनुसार पूर्ण उपचार फेसिलिटेट कराना। 4. सिफलिस पॉजीटिव/रिएक्टिव महिला एवं बच्चों का 24 माह तक फालोअप करना। 5. उपरोक्तानुसार सभी केसेस का पूर्ण रिकार्ड संधारित करना।
8.	आरटीआई/एसटीआई जनरल क्लाइंट व सिफलिस क्लाइंट को उपचार उपलब्ध कराना।	1. आरटीआई/एसटीआई क्लीनिक के जनरल क्लाइंट व सिफलिस पॉजीटिव जनरल क्लाइंट को उपचार उपलब्ध कराना एवं पूर्ण रिकार्ड संधारित करना।
9.	रोशनी क्लीनिक व महिला स्वास्थ्य शिविर	1. आरटीआई/एसटीआई परामर्शदाता रोशनी क्लीनिक से संबंधित कार्यों को संपादित करेंगे एवं इससे संबंधित रिकार्ड संधारित करेंगे। 2. महिला स्वास्थ्य शिविरों से संबधित कार्य संपादित करेंगे।

क्रमांक	कार्य	विवरण
10.	आरटीआई क्लीनिक में एफआईसीटीसी का संचालन।	1. समस्त आरटीआई/एसटीआई क्लीनिक में एफआईसीटीसी संचालित की जावेगी। 2. यहां उन क्लाइंटों को एचआईव्ही व सिफलिस जांच उपलब्ध करायी जावेगी, जिनकी पूर्व में ये जांचें नहीं हुई हैं। 3. एफआईसीटीसी से संबंधित ए–1 रजिस्टर एवं अन्य रिकार्ड नाको गाईडलाईन अनुसार संधारित करेंगे। 4. रिएक्टिव आने वाले केसेस की आईसीटीसी में कंफरमेंटरी जांच करायी जावेगी।
11	आउटरीच गतिविधियां	1. आरटीआई/एसटीआई परामर्शदाता नोडल अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर आउटरीच गतिविधियां करेंगे, जिसमें टीआई/जेल की विजिट, हॉट स्पॉट विजिट, रिएक्टिव/सिफलिस पॉजीटिव गर्भवती महिलाओं व उनके बच्चों के फालोअप के लिए विजिट। 2. एफआईसीटीसी केन्द्रों की विजिट।
12	एचएमआईएस में डाटा एण्ट्री	1. जिले में गर्भवती महिलाओं की हुई सिफलिस जांच का विवरण प्रत्येक माह एचएमआईएस में अपडेट कराना। 2. आईसीटीसी में गर्भवती महिलाओं की हुई सिफलिस जांच का विवरण प्रत्येक माह एचएमआईएस में अपडेट कराना। 3. एचएमआईएस के सिफलिस डाटा को चेक करना, यदि कोई गलत डाटा रिपोर्ट हुआ है तो उसे ठीक करना।
13	मेडिकल कॉलेज में स्थापित आरटीआई/एसटीआई के परामर्शदाताओं के लिए (उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त कार्य)	1. केन्द्रीय जेलों में स्थापित एफआईसीटीसी की विजिट करना तथा हैण्ड् होल्डिंग करना। 2. एफआईसीटीसी द्वारा सिम्स साफ्टवेयर में प्रत्येक माह में दर्ज की गई रिपोर्ट को चेक करना कि किसी केन्द्र द्वारा शून्य रिपोर्ट तो नही की गई है यदि ऐसा कोई केन्द्र है तो केन्द्र से समन्वय कर शून्य रिपोर्ट के कारणों का निराकरण कर रिपोर्ट ठीक कराना। 3. एफआईसीटीसी की रिपोर्ट में यदि गलत डाटा दर्ज किया गया है तो उसे सुधरवाना।
14	अन्य कार्य	1. आईसीटीसी परामर्शदाता की अनुपस्थिति में आईसीटीसी के कार्यों को संपादित करना। 2. अन्य कार्य जो कि वरिष्ठ कार्यालय स्तर से दिये जायेंगे, उन्हें पूर्ण करना।

12.6.19

उप संचालक (एस.टी.डी.)
मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

12-6-19

परियोजना संचालक
मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति